Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 3-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 9, 2018 (PAUSA 19, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 जनवरी, 2018

संख्या 12/एसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 (हिन्दी पाठ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं तथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, पन्द्रह नवम्बर, 2017 से संशोधित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 (हिन्दी पाठ) में, –

(क) अनुसूची I – 2.5% में,–

1. क्रम संख्या 58 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"आलू का मील, पाउडर, फ्लॉर, फ्लेक्स, ग्रेन्युल्स तथा पैलेट्स जो इकाई आधान में रखे गये है; और

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो; या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार प्राप्य हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम के संबंध में किसी अनुयोज्य दावा या किसी प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]"।

2. क्रम संख्या 78 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"78	1404 [1404 90 10, 1404 90 40, 1404 90 50, 1404 90 60 से भिन्न]	ऐसे वनस्पति उत्पाद जो अन्य कहीं विनिर्दिष्ट या शामिल न हो जैसे कि काटन लिंटर्स, सोप नट्स, हार्ड सीड्स, पिप्स, हुल्स एंड नट्स जो कि मूल रूप से नक्कासी के काम आता है, रूद्राक्ष बीज [बीड़ी बनाने के काम आने वाला पत्ता (तेंदु का पत्ता), पान का पत्ता, भारतीय कत्था, कोकोनट शेल, जिसको छिला न गया हो, से भिन्न]"।

3. क्रम संख्या 92 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''पलमाइयारा शुगर, मिश्री, बतासा, बुरा, शक्कर, खड़ी शक्कर, हरदा, शकरिया, गट्टा, कुलिया, इलाइची दाना, लुकुमदाना, चिक्की जैसे मुरमुरा चिक्की, पीनट चिक्की, तिल चिक्की, तिल पट्टी, चीनी से निर्मित मखाना, तिल रेवड़ी, मूंगफली मिठाई, गजक, खाजा, खजुली, अनारसा''।

4. क्रम संख्या 234 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''निम्नलिखित नवीकरणीय ऊर्जा युक्तियां और उनके विनिर्माण के लिए पुर्जे

(क) बायो–गैस संयंत्र

(ख) सौर विदयुत आधारित युक्तियां

(ग) सौर विदयुत जनित्र प्रणाली

(घ) पवन चक्की और पवन प्रचालित विद्युत जनित्र (डब्ल्यू.ओ.ई.जी.)

(ड़) अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र/युक्तियां

(च) सौर लैंटर्न/सौर लैंप

(छ) समुद्री लहर/ज्वारीय लहर ऊर्जा युक्तियां /संयंत्र

(ज) फोटो वाल्टिक सेल्स, चाहे वो मोडयूल में असेम्बल हों अथवा नहीं या पैनल में बने हों अथवा नहीं''।

5. क्रम संख्या 234क में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''ई–वेस्ट

व्याख्या:– इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, ई–वेस्ट से अभिप्राय है कि, ई–वेस्ट (मैनेजमेंट) नियम, 2016 (भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा0का0नि0338(अ), दिनांक 23 मार्च, 2016) की अनुसूची I में सूचीबद्ध इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रोनिक उपकरण, पूर्णतः या भागतः, यदि उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा अपशिष्ट के रूप में छोड़ा गया हो''।

(ख) अनुसूची II – 6% में,–

1. क्रम संख्या 14 में, खाना (3) में ''और शुष्क नारियल'' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

2. क्रम संख्या 43 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''यीस्ट(सक्रिय या निष्क्रिय)य अन्य एककोशीकिय सूक्ष्म जीव, मृत (लेकिन जिनमें शीर्ष 3002 के वैक्सीन शामिल नहीं हैं); तैयार बेकिंग पाउडर्स''।

3. क्रम संख्या 171 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

171क	6501	कपड़ा टोपी।

4. क्रम संख्या 196 में, खाना (3) में, ''पार्टस [4832 90] '' शब्द, कोष्ठक और अंक के स्थान पर, '';पार्टस [8432 90]'' चिह्न, शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

5. क्रम संख्या 197 में, खाना (3) में, ''पार्टस [4833 90 00]'' शब्द और अंक के स्थान पर, ''; पार्टस [8433 90 00]'' चिह्न, शब्द, कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. क्रम संख्या 215 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''215	9003	नजर के चश्मों, धूपी चश्मों और इसी प्रकार की वस्तुओं के फ्रेम्स और माउंटिंग्स और इन वस्तुओं के हिस्से''।

7. क्रम संख्या 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:–

1	2	3
''243	कोई अध्याय	सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर से भिन्न मालों के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का स्थायी अंतरण'' ।

(ग) अनुसूची –III – 9% में,–

1. क्रम संख्या 12 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''शुगर क्नफेशनरी [मिश्री, बतासा, बुरा, शक्कर, खड़ी शक्कर, हरदा, शकरिया, गट्टा, कुलिया, इलायची दाना, लुकुम दाना, चिक्की जैसे कि मुरमुरा चिक्की, पीनट चिक्की, सीसेम चिक्की, तिल चिक्की, तिल पट्टी, तिल रेवड़ी, चीनी से निर्मित मखाना, मूंगफली मिठाई और गजक से भिन्न]''।

2. क्रम संख्या 13 में, खाना (2) और खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''1901 [1901 20 00 से भिन्न]	माल्ट निष्कर्ष, आटा, दलिया, अवचूर्ण, स्टार्च या माल्ट निष्कर्ष की खाद्य निर्मितियां, जिनमें कोको चूर्ण नहीं है या पूर्णतया वसाहीन आधार पर संगणित भार के आधार पर कोको 40 % से कम है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है; शीर्ष 0401 से 0404 के माल की खाद्य निर्मितियां, जिनमें कोको चूर्ण नहीं है या पूर्णतया वसाहीन आधार पर संगणित भार के आधार पर कोको 5% से कम है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं है या [शीर्ष 1905 के बेकर्स वेयर्स निर्माण के लिए मिश्रण और गुंधे हुए आटे से भिन्न]'' ।

3. क्रम संख्या 23 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''खाद्य निर्मितियां जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं [भुने चने, मिठाइयां, इडली/डोसा बैटर समेत सभी बैटर, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी प्रकार की अन्य निर्मितियां जिनका उपयोग तुरंत किया जा सके, चटनी पाउडर, खाखरा, डाइबेटिक फूड्स से भिन्न]'' ।

4. क्रम संख्या 33 में, खाना (3) में, ''उत्पार'' शब्द के स्थान पर, ''उत्पाद'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

5. क्रम संख्या 60 में, खाना (2) और खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''3306	मुख या दांत स्वास्थ्य के लिए निर्मितयां, जिनके अंतर्गत डैन्चर फिक्सेटिव पेस्ट और पाउडर हैं; दांतों के बीच सफाई करने के लिए प्रयुक्त धागा (दंत फ्लौस), पृथक खुदरा पैकजों में [टूथ पाउडर से भिन्न]'';

6. क्रम संख्या 60 क और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

''60क	3307	शेव–पूर्व, शेविंग या शेव–पश्च निर्मितियां, शारीरिक गंध हारक, स्नान निर्मितियां, रोमहर और अन्य सुगंध सामग्री, श्रृंगार या प्रसाधन निर्मितियां, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; निर्मित कक्ष गंध हारक, चाहे सुगंधित या विसंक्रामक गुणधर्म वाली हैं या नहीं [गंधयुक्त निर्मितियां जिनका उपयोग जलाकर किया जाता है, अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, संभ्रानी से भिन्न]'';

7. क्रम संख्या 61 में, खाना (3) में, ''साबुन के रुप में'' शब्दों के स्थान पर, '' साबुन; साबुन के रुप में'' शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

8. क्रम संख्या 61ख में, खाना (3) में, ''स्नहकों पर आधारित कर्तन तेल निर्मितियां बोल्ट'' शब्दों के स्थान पर, ''स्नेहकों पर आधारित कर्तन तेल निर्मितियां, बोल्ट'' शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

9. क्रम संख्या 62क में, खाना (3) में, ''वाडिंग नमदा'' शब्दों के स्थान पर, ''वाडिंग, नमदा'' शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

10. क्रम संख्या 104क में, खाना (3) में, ''रालों में टाईलों के रुप'' शब्दों के स्थान पर, ''रोलों में अथवा टाईलों के रुप में'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

11. क्रम संख्या 107क में, खाना (3) में, ''सिंह'' शब्द के स्थान पर, ''सिंक'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

12. क्रम संख्या 124 में, खाना (3) में, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''ट्रंक, सूटकेसेस, वैनिटी–केसेस, एक्जीक्यूटिव–केसेस, ब्रीफ–केसेस, स्कूल सैचल्स, स्पेक्टेक्ल केसेस, बाइनोकुलर्स केसेस, कैमरा केसेस, म्यूजिकल इंसटरुमेंट केसेस, गन केसिस, होल्सटर्स और इसी प्रकार के अन्य कंटेनरसय ट्रेवलिंग बैग्स, इंसूलेटिड फूड या बीवरेज बैग्स, टायलेट बैग्स, रकसेकस, हैंड बैग्स, शापिंग बैग्स, वालेट, पर्स, मैप केसिस, सिगरेट केसिस, तम्बाकू पाउच, टूल बैग्स, स्पोर्टस बैग्स, बॉटल केस, आभूषणों के डिब्बे, पाउडर के डिब्बे, कटलरी केसिस और

इसी प्रकार के अन्य कंटेनरस जो कि चमड़े, प्लास्टिक की शीट, कपड़े की सामग्री, वल्कनाइस्ड फाइबर या पेपर बोर्ड से बने हों या पूर्णतया काफी हद तक ऐसी सामग्री से ढके हों या पेपर से ढके हों, [सूती या जूट से बने हैंड बैग और शॉपिंग बैग से भिन्न]"।

13. क्रम संख्या 124क, 124ख और 124ग और उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"124क	4203	लैदर या संयोजित चमड़े की परिधान की वस्तुएं और वस्त्र उपसाधन (उन ग्लव्स से भिन्न जो कि विशेषकर खेल के लिए बनाए गए हों)
124ख	4205	चमड़े या संयोजित चमड़े की अन्य वस्तुएं
124ग	4206	तांत (रेशमकीट तांत से भिन्न) की, वर्क साजी की, वस्ति की या कण्डरा की वस्तुएं"।

14. क्रम संख्या 137ख और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"137ख	4411	काष्ठ या अन्य काष्ठ सामग्री के फाइबर बोर्ड, चाहे वे रेजिन या अन्य कार्बनिक पदार्थ से बंधित हैं अथवा नहीं, विनिर्दिष्ट बोर्डों से भिन्न" ।

15. क्रम संख्या 180ख में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"वनस्पति फाइबर, पुआल या काष्ठ के शेविंग, चिप्स, कण, बुरादा या अन्य अपशिष्ट के प्रपट्ट, बोर्ड, टाईलें, ब्लॉक और वैसी ही वस्तुएं, जो सीमेंट, प्लास्टर या अन्य खनिज बंधकों से संपीडित हैं"।

16. क्रम संख्या 182घ में, खाना (3) में, "कार्बन फाइबर कार्बन फाइबर की वस्तुएं" शब्दों के स्थान पर, "कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर की वस्तुएं" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

17. क्रम संख्या 184क में, खाना (3) में, "आलंब भरक" शब्दों के स्थान पर, "आलंब या भरक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

18. क्रम संख्या 185ग में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"चीनी मिट्टी की होदी, धावन कुंडी, धावन कुंडी की पीठिका, बाथ, बिडेट, वॉटर क्लाजेट पैन, प्रधावन—होज, मूत्रदान और वैसे ही स्वच्छता फिक्सचर"।

19. क्रम संख्या 189क में, खाना (3) में, "वेल्लित कांच चादरों" तथा "पतें" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "वेल्लित कांच, चादरों" तथा "पर्तें" शब्द और चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

20. क्रम संख्या 189ख में, खाना (3) में, "पतें" शब्द के स्थान पर, "पर्तें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

21. क्रम संख्या 189ग में, खाना (3) में, "पतें" शब्द के स्थान पर, "पर्तें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

22. क्रम संख्या 189ड़ में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"सुरक्षा कांच, जिसमें चर्मकलित (पायित) या पटलित कांच है"।

23. क्रम संख्या 192क में, खाना (3) में, "जो डिजाइन", "कांच के धन" तथा "सीसीयुक्त" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "मोजेक डिजाइन", "कांच के घन" तथा "सीसायुक्त" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

24. क्रम संख्या 195क में, खाना (3) में, "कांच की चिमनी" शब्दों के स्थान पर, "कांच की चिमनी से भिन्न" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

25. क्रम संख्या 235 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"लोहा या इस्पात के स्टोव, रेंज, ग्रेटस, कुकर (जिसमें केन्द्रीय ऊष्मा के सहायक बायलर भी हैं) बारबेक्यूसय अंगीठी, गैस छल्ला, प्लेट गर्म करने वाली और समरूप नॉन—इलैक्ट्रिकल घरेलू उपकरण या उसके पुर्जे, [जो लोहा या स्टील के केरोसिन बर्नर्स, केरासिन स्टोव्स और वुड बर्निंग स्टोव्स से भिन्न हों]"।

26. क्रम संख्या 238 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"आयरन या स्टील के अन्य आर्टिकल्स";

27. क्रम संख्या 271 में, खाना (3) में, ''टावर जालक मस्तूल'' तथा ''प्रोफाइल नलिकाएं'' शब्दों के स्थान पर, क्रमशः ''टावर, जालक मस्तूल'' तथा ''प्रोफाइल, नलिकाएं'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

28. क्रम संख्या 301क में, खाना (3) में, ''रेजर, ब्लेड, ब्लैंक सहित'' शब्दों के स्थान पर, '' रेजर ब्लेड ब्लैंक सहित'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

29. क्रम संख्या 301क में, खाना (3) में, '' हैट रैक हैट खूंटी'' शब्दों के स्थान पर, ''हैट रैक, हैट खूंटी'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

30. क्रम संख्या 303ख में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''आधार धातु के कवचित या प्रबलित सेफ, तिजोरियां और दरवाज़े और तिजोरी कक्ष के लिए तिजोरी लॉकर, नकदी या संलेखपेटियां और वैसी ही वस्तुएं''।

31. क्रम संख्या 303घ में, खाना (3) में, ''लूज लीप बंधकों'' शब्दों के स्थान पर, ''लूज लीफ बंधकों'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

32. क्रम संख्या 317क में, खाना (3) में, ''[टैरिफ मद 8413 11 10]'' कोष्ठक, शब्दों और अंको के स्थान पर, ''[टैरिफ मद 8413 60]'' कोष्ठक, शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

33. क्रम संख्या 320 में, खाना (3) में, ''(शीर्ष 8514 के अंतर्गत आने वाले फरनैस, ओवन और अन्य अपकरणों को छोडकर,'' कोष्ठक, चिह्न, शब्दों और अंको के स्थान पर, '' (शीर्ष 8514 के अंतर्गत आने वाले फरनैस, ओवन और अन्य अपकरणों को छोड़कर),'' कोष्ठक, चिह्न, शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

34. क्रम संख्या 324 में, खाना (3) में, ''सभी प्रकार के भार तोलन मशीनें'' शब्दों के स्थान पर, ''भार तोलन मशीनों के सभी प्रकार के भार'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

35. क्रम संख्या 325 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"प्रोजेक्टिंग, डिसपर्सिंग या लिक्विड या पाउडर स्प्रेयिंग के लिए मेकेनिकल उपकरण (चाहे हस्तचालित हों या नहीं); अग्निशामक, चाहे चार्जड हों या नहीं; स्प्रे गन्स और इसी प्रकार के उपकरणय स्टीम या सैंड ब्लास्टिंग मशीनें और इसी प्रकार की जैट प्रोजेकटिंग मशीनें [ड्रिप सिंचाई उपकरण के नोजलस या स्प्रिंकलर के नोजलस से भिन्न]"।

36. क्रम संख्या 361 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"अन्य कार्यालय मशीनें (उदाहरणार्थ हैक्टोग्राफ या स्टेंसिल डुप्लीकेटिंग मशीनें, एड्रेसिंग मशीनें, आटोमेटिक बैंक नोट डिस्पेन्सर, काइन सॉर्टिंग मशीनें, काउन काउंटिंग या रेपिंग मशीनें, पैन्सिल शार्पिंग मशीनें, परफोरेटिंग या स्टैपलिंग मशीनें), [ब्रेल टाइपराइटर, इलेक्ट्रिक या नान इलेक्ट्रिक से भिन्न]";

37. क्रम संख्या 369ख में, खाना (3) में, ''या वैसे ही पैकिंग यांत्रिक सील में रखे गए हैं'' शब्दों के स्थान पर, ''या वैसे ही पैकिंग में रखे गए हैंय यांत्रिक सील'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

38. क्रम संख्या 379 में, खाना (3) में, ''ख्सेलुलर नेटवर्क या अन्य वायरलेस नेटवर्को के लिए टेलीफोन और उनके विनिर्माण के लिए पुर्जे से भिन्न]'' शब्दों के स्थान पर, ''[सेलुलर नेटवर्कों या अन्य वायरलेस नेटवर्कों के लिए टेलीफोन से भिन्न]'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

39. क्रम संख्या 380 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के अंत में, ''; ऑडियो–फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक एंप्लीफायर्सय इलेक्ट्रिक साउंड एंप्लीफायर सैट'' शब्द और चिह्न जोड़े जाएंगे;

40. क्रम संख्या 383 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''क्लोज़ सर्किट टेलिविजन (सी.सी.टी.वी.), रेडियो प्रसारण या टेलिविजन के लिए पारेषण उपस्कर, चाहे उसमें ग्रहण उपस्कर या ध्वनि रिकार्डिंग अथवा पुनरूत्पादन उपस्कर लगा हो या नहीं; टेलिविजन कैमरा (सेना, पुलिस और अर्ध–सैनिक बलों इत्यादि द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दो–तरफा रेडियो (वाकी–टाकी) से भिन्न)"।

41. क्रम संख्या 388क और 388ख और उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"388क	8536	विद्युत परिपथों के स्विचन या संरक्षण के लिए, या विद्युत परिपथों से या में कनेक्शन करने के लिए विद्युत उपकरण (उदाहरणार्थ स्विच, रिले, फ्यूज, प्रोत्कर्ष निरोधक, प्लग, साकेट, लैंप होल्डर और अन्य संबंधन, जंक्शन बाक्स), जो एक हजार वोल्टता से अधिक न हों: प्रकाशित फाइबर, प्रकाशित फाइबर बंडल या केबलों के लिए कनेक्टरस।

388 ख	8537	विद्युत नियंत्रण या विद्युत वितरण के लिए बोर्ड, पैनल, कंसोल, डैस्क, कैबिनेट और अन्य आधार, जिनमें शीर्ष 8535 या 8536 के दो या अधिक उपकरण लगे हैं, जिनके अंतर्गत वे भी हैं, जिनमें अध्याय 90 के उपकरण या साधित्र समाविष्ट हैं और संख्या संबंधी नियंत्रण साधित्र, जो शीर्ष 8517 के स्विचन साधित्र से भिन्न हैं'';

42. क्रम संख्या 390 में, खाना (3) में, ''सीड बीन'' शब्दों के स्थान पर, ''सील्ड बीम'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

43. क्रम संख्या 395 में, खाना (3) में, ''इन्सुलेटिड कंन्क्टर्स'' शब्दों के स्थान पर, ''इन्सुलेटिड इलैक्ट्रिक कन्डक्टर'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

44. क्रम संख्या 396 में, खाना (3) में, ''बूशेस'', ''काबर्न्स'' तथा ''उद्देशें'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''ब्रशिस'', ''कार्बन'' तथा ''उद्देश्यों'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

45. क्रम संख्या 397क में, खाना (3) में, ''कंड्यूननलिका'' शब्द के स्थान पर, ''कंड्यूट नलिका'' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा;

46. क्रम संख्या 411ख में, खाना (3) में, ''फोटोचित्र (चलचित्र कैमरें से भिन्न)'' शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, ''फोटोचित्र (चलचित्र से भिन्न) कैमरे;'' शब्द, कोष्ठक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

47. क्रम संख्या 411ग में, खाना (3) में, ''चलचित्र और प्रक्षेपित्र'' शब्दों के स्थान पर, ''चलचित्र कैमरे और प्रक्षेपित्र'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

48. क्रम संख्या 413क और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''413क	9022	उपकरण, जो एक्सरेस या एल्फा, बीटा, गामा विकिरणों के उपयोग पर आधारित हैं [उनसे भिन्न जो चिकित्सीय, शल्य चिकित्सीय, दंत चिकित्सीय या पशु चिकित्सीय उपयोगों के लिए हो], जिसके अंतर्गत रेडियोग्राफी या रेडियो चिकित्सा उपकरण, एक्स रे ट्यूब और अन्य एक्स रे जनित्र, उच्च विभव जनित्र, नियंत्रण पैनल और डेस्क, स्क्रीन, परीक्षा या उपचार मेजें, कुर्सियां और वैसी ही वस्तुएं भी हैं''।

49. क्रम संख्या 424क में, खाना (3) में, ''यंत्र पैनल, बड़ी घड़ियां'' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''यंत्र पैनल बड़ी घड़ियां'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

50. क्रम संख्या 427 में, खाना (3) में, ''दीवर'' शब्द के स्थान पर, ''दीवार'' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा;

51. क्रम संख्या 429 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उनके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

''429क	9113	घड़ी का स्ट्रेप, घड़ी पट्टे और घड़ी ब्रेसलेट तथा उनके पुर्जे
429ख	9201	पियानो, जिनके अंतर्गत स्वचालित पियानों है, हार्पसी–कार्ड और अन्य कुंजी फलक तंत्री यंत्र
429ग	9202	अन्य तंत्री वाद्य यंत्र (उदाहरणार्थ गिटार, वायलिन, हार्प)
429घ	9205	सुषिर वाद्य यंत्र (उदाहरणार्थ कुंजी पटल पाइप आर्गन, अकार्डयण, क्लेरिनेट, तुरंही, मशकबीन), फेयर ग्राउंड आर्गन और यांत्रिक स्ट्रीट आर्गन से भिन्न
429ङ	9206 00 00	आघात वाद्य यंत्र (उदाहरणार्थ ड्रम, काष्टतरंग, झांझ, करताल, मैराक)
429च	9207	वाद्य यंत्र, जिनकी ध्वनि विद्युत से उत्पादित की जाती है या प्रवर्धित की जानी चाहिए (उदाहरणार्थ आर्गन, गिटार, अकार्डिएन)
429छ	9208	संगीत पेटी, फेयर ग्राउंड आर्गन, यांत्रिकी स्ट्रीट आर्गन, यांत्रिकी सिंगिग बर्ड, म्युजिकल सास या और अन्य वाद्य यंत्र, जो इस अध्याय के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं; सभी प्रकार के डिकाय कालय सीटी, काल हार्न और मुख से बजाए जाने वाले अन्य ध्वनि संकेती यंत्र
429ज	9209	वाद्य यंत्रों के पुर्जे (उदाहरणार्थ संगीत पेटियों के लिए यंत्रावली) और उपसाधन (उदाहरणार्थ यांत्रिक यंत्रों के लिए कार्ड, डिस्क और रोल), सभी प्रकार के ताल मापित्र, द्विभुज और पिच पाइपें''।

52. क्रम संख्या 438क में, खाना (3) में, ''एमसीपीसीडी'' अक्षरों के स्थान पर, ''एमसीपीसीबी'' अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

53. क्रम संख्या 441क और 442ख और उनके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''441क	9508	चक्कर, झूले, निशानेबाजी दीर्घाएं और अन्य मेला स्थल मनोरंजन (चल सर्कस और चल प्राणिशालाओं से भिन्न)
441ख	9602	कर्मित वनस्पति या खनिज नक्काशी सामग्री और इन सामग्रियों की वस्तुएं; मोम की, स्टीएरिन की, प्राकृतिक गोंद की या प्राकृतिक रेजिन की या प्रतिरुपण पेस्टों की संचित या नक्काशीकृत वस्तुएं, और अन्य संचित या नक्काशीकृत वस्तुएं जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं; कर्मित, अकठोरकृत जिलेटिन (शीर्ष संख्या 3503 की जिलेटिन को छोड़कर) और अकठोरकृत जिलेटिन की वस्तुएं'';

54. क्रम संख्या 449ग में, खाना (3) में, ''ओर'' शब्द के स्थान पर, ''और'' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा;

55. क्रम संख्या 452त और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

''452त	कोई अध्याय	सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के संबंध में बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकार का स्थायी अंतरण'';

(ग) अनुसूची –IV – 14% में,–

1. क्रम संख्या 114 में, खाना (3) में, ''[एयर क्राफ्ट इंजन [एयर क्राफ्ट इंजन से भिन्न]'' शब्दों के स्थान पर, ''[एयर क्राफ्ट इंजन से भिन्न]'' शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

2. क्रम संख्या 117 में, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, ''ईंधन या स्नेहक के वितरण के लिए ऐसे प्ररुपी पंप, जिनका उपयोग भरण केन्द्र या गैराजों में किया जाता है [8413 11], अंतर्दहन पिस्टन इंजन के लिए ईंधन, स्नेहक या शीतलन माध्यम पंप [8413 30], कंक्रीट पंप [8413 40 00], अन्य घर्णी धनात्मक विस्थापन पंप [8413 60], [टैरिफ मद 8413 11 10 के अंतर्गत आने वाले हैंडपंपो से भिन्न]'' प्रविष्टियां रखी जाएंगी, जो प्रथम जुलाई, 2017 से चौदह नवम्बर, 2017 तक लागू होंगी तथा पन्द्रह नवम्बर, 2017 से बाद की अवधि के लिए ''ईंधन या स्नेहक के वितरण के लिए ऐसे प्ररुपी पंप, जिनका उपयोग भरण केन्द्र या गैराजों में किया जाता है [8413 11], अंतर्दहन पिस्टन इंजन के लिए ईंधन, स्नेहक या शीतलन माध्यम पंप [8413 30] '' प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

3. क्रम संख्या 135 में, खाना (3) में, ''घिनों'' शब्द के स्थान पर, ''घिरनियों'' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा;

4. व्याख्या में, खंड (ii) में, मद (ख) में, उपमद (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपमद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(ग) किसी अन्य देश में उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन 15 मई, 2017 को या उसके बाद पंजीकृत कोई ब्रांड''।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

55902—C.S.—H.G.P., Chd.